झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

सं०सं०–8/ज०सं०(नि०) विविध 15–20/2017................../राँची, दिनांक–

संकल्प

I. आपराधिक षड़यंत्र कर धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार का सहारा लेकर नौकरी प्राप्त करने के आरोप के लिए श्री रविन्द्र कुमार खलखो (ID - C024) तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, धनबाद (सम्प्रति खरकई नहर अवर प्रमण्डल जादुगोड़ा) के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 5422 दिनांक– 19.12.2017 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2016 के नियम– 16 एवं 17 के अर्न्तगत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

II. तत्कालीन संचालन पदाधिकारी के पत्रांक– 56 दिनांक – 21.02.2019 द्वारा जाँच प्रतिवेदन इस निष्कर्ष के साथ समर्पित किया गया कि "आपराधिक कार्यवाही से भिन्न कोई भी अन्य साक्ष्य तालिका प्रस्तुत नहीं की गई है। इस परिस्थिति में इस कार्यवाही में बिना किसी निष्कर्ष पर पहुँच C.B.I. ACB केस सं० RC-10(A) 2012-R में माननीय न्यायालय द्वारा न्यायदेश पारित होने तक इस कार्यवाही को स्थगित रखने की अनुशंसा की जाती है।"

उक्त के आलोक में पुलिस अधीक्षण, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (भ्रष्टाचार निरोधी शाखा) राँची से साक्ष्य प्राप्त किया गया। प्राप्त साक्ष्य के आलोक में श्री रविन्द्र कुमार खलखो के विरूद्ध गठित आरोप की पुनः जाँच कराने का निर्णय लिया गया है।

III. इस निमित श्री रमेश कुमार दूबे (भा०प्र०से०, से०नि०) को इस कार्यवाही के लिए संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा श्री प्रेम कुमार सोरेन, अवर सचिव–सह–नोड्ल पदाधिकारी विधि कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

IV. विभागीय संकल्प ज्ञापांक – 5422 दिनांक– 19.12.2017 की अन्य कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

V. प्रस्ताव पर सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक –../राँची, दिनांक– ....

प्रतिलिपि : श्री रमेश कुमार दूबे (भा०प्र०से०, से०नि०) टी०ए० डिवीजन बिल्डिंग, धुर्वा, राँची को अनुबंध की प्रति फोल्डर एवं साक्ष्य के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक –../ राँची, दिनांक– ....

प्रतिलिपि : श्री प्रेम कुमार सोरेन, अवर सचिव–सह–नोड्ल पदाधिकारी, विधि कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ श्री रविन्द्र कुमार खलखो, सहायक अभियंता, गालूडीह दांया नहर अवर प्रमण्डल सं०–4, मुसाबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक –750/ राँची, दिनांक– 09/02/21

प्रतिलिपि : वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग।